

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

क्रमांक नम्बर 21/17 --- तारीख रजू 22/11/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का 605A --- बनाम
शमनाथ पुत्र हरचन्द जाति मीना निवासी जपानावा तहसील
महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री शमनाथ ने ग्राम जपानावा को भूमि ख.न. 447, 449/1 रकबा 0.01 + 0.02 किस्म जेठुगस्ता फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 में जेठुगस्ता कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 447, 449/1 रकबा 0.01 + 0.02 किस्म जेठुगस्ता वाके ग्राम जपानावा से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.88 का 50 गुणा 44वक शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल जेठुगस्ता को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
दौसा-महवा (राज.)
 तहसीलदार महवा

Peshay 61
2017-18
8/3/18
पटवारी
Peshay